संख्या : 44/2016/665/छप्पन-2016-48/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 24 मई, 2016

विषय : राजकीय हेलीकॉप्टर बेल-412 पर कै0 एस0के0 गिरि एवं कै0 उत्पल वनर्जी, पायलट (रोटर विंग) को शुल्क भुगतान के आधार पर क्रमश: दिनांक 21.12.2015 से 23.12.2015 तक कराये गये प्रशिक्षण की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 787/ना0उ0नि0/आप्स-17/2015, दिनांक 22-12-2015, पत्र संख्या : 921/ना0उ0नि0/आप्स-17/2016, दिनांक 29-1-2016 एवं पत्र संख्या : 08/ना0उ0नि0/आप्स-17/2016, दिनांक 25-4-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय हेलीकॉप्टर बेल-412 पर कै0 एस0के0 गिरि एवं कै0 उत्पल वनर्जी को शुल्क भुगतान के आधार पर हेलीकॉप्टर के डी लेवल सिमुलेटर पर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग तथा डे एण्ड नाईट स्किल टेस्ट/आई0आर0 टेस्ट क्रमश: दिनांक 21-23 दिसम्बर, 2015 एवं दिनांक 21-23 दिसम्बर, 2015 तक सम्पादित कराये जाने हेतु प्रशिक्षण शुल्क रूपये 21,06,050/- एवं दिनांक 21-12-2015 से 23-12-2015 तक मै0 हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर को एकोमोडेशन की देय धनराशि रूपये 12,000/- अर्थात कुल धनराशि रूपये 21,18,050/- की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: राज्यपाल महोदय उपरोक्त सिमुलेटर पर कराये गये प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क एवं एकोमोडेशन पर कुल व्यय रूपये 21,18,050/- (रूपये इक्कीस लाख अट्ठारह हजार पचास मात्र) के व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान मै0 हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर को बिल बेसिस पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये निदेशक एवं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-7-442/दस-2016, दिनांक 20.05.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 44/2016/665(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- सम्बन्धित अधिकारीगण।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।